राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1011/2023

नावेद अली जैदी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर कार्यालय अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2023
आदेश की दिनांक : 21.04.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद एवं सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आयुक्त के पद पर बी, बिजनेस ऑडिट विंग–तृतीय, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक आयुक्त वृत्त, डूंगरपुर किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका कहना है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा 148 अधिकारियों के स्थानान्तरण किए गए थे, फिर भी प्रतिबंध लगने के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी की माताजी का

निधन दिनांक 09.02.2023 को हुआ है। उनके पिताजी भी वृद्ध हैं और जो मधुमेह एवं अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। परिवार में उनकी देखभाल के लिए अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के दो पुत्र जो 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। अपीलार्थी की पदोन्नति भी दिनांक 30.11.2022 के आदेश के द्वारा सहायक आयुक्त के पद पर की गई। अपीलार्थी स्वयं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है एवं यात्रा करने में भी असमर्थ है। अपीलार्थी को जयपुर पदस्थापित हुए दो वर्ष का समय भी पूर्ण नहीं हुआ और उसे पुनः उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा डूंगरपुर पदस्थापित कर दिया गया, जो जयपुर से काफी दूर है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2023 सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 में स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक अंकित किया गया है, किंतु इस आदेश में यह भी अंकित है कि अति आवश्यक प्रकृति के स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति पश्चात् ही किए जा सकेंगे। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति दिनांक 21.02.2023 के पश्चात् ही जारी किए गए हैं, जो नोटशीट की प्रति आर 1 एवं आर 2 से प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 24.02.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका कोई प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। उसका स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री की बिना सहमति के स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित नहीं होने के कारण विधि विरूद्ध जारी किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2023

(अनुलग्नक–1) को अपास्त कर अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर बी, बिजनेस ऑडिट विंग–तृतीय, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण दो वर्ष से कम अवधि में किए जाने का प्रश्न है, किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और अपीलार्थी द्वारा भी ऐसा कोई नियम/नीति साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि दो वर्ष से पूर्व अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का जयपुर से डूंगरपुर, जो काफी दूर है, स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने के बाद आलोच्य आदेश जारी किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अति आवश्यक प्रकृति की स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति पश्चात् ही किए जा सकेंगे। आर 1 एवं आर 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश जारी होने से पूर्व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही स्थानान्तरण आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदित एवं नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य